



# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर-208024  
Kalyanpur, Kanpur-208024

पत्रांक-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब0/ 41 /2021

दिनांक: 07 /01 /2021

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य (प्रबन्ध समिति),  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
सम्बद्ध-छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,  
कानपुर।

विषय: अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 के अधिनियम सं0-42 वर्ष 2018 के क्रम में विभिन्न कॉलेजों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में जारी परिपत्र के पुनः संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक: 29/कुलसचिव/2021 दिनांक 07.01.2021 के द्वारा कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक: प001/अ0बि0व0चि0वि0/2020 दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 के माध्यम से उ0प्र0 शासन द्वारा अधिनियम सं0-42 सन् 2018 के अन्तर्गत लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। विश्वविद्यालय में विभिन्न मेडिकल/नर्सिंग/पैरा मेडिकल कॉलेजों में नये पाठ्यक्रम/कोर्स हेतु सम्बद्धीकरण से सम्बन्धित कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है।

उक्त अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में सरकारी और निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना शामिल है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 अधिनियम दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 07.01.2021 के अनुसार यदि किसी संस्था द्वारा तत्सम्बन्धी आवेदन किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान को किया जाता है तो विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा उक्त आवेदन को तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित कर दिया जायेगा। सम्बन्धित अधिसूचना की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.abvmuup.edu.in](http://www.abvmuup.edu.in) पर अवलोकनीय है।

अतः उक्त का संज्ञान लेते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

डॉ.(अनिल कुमार यादव)  
कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुल सचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर/ लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. सिस्टम मैनेजर, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को समस्त महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट के मुख पृष्ठ पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीया कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुल सचिव/परीक्षा नियंत्रक।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

डॉ.(अनिल कुमार यादव)  
कुल सचिव

